



Sessions Case/539/2024

State Government Vs. Jagapal singh and others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-04, फर्रुखाबाद।

उपस्थित:- दीपेन्द्र कुमार सिंह-I.....एच०जे०एस० J.O.Code-U.P.2720

सत्र वाद संख्या- 539/2024

राज्य प्रति जगपाल सिंह।

अपराध संख्या-666/2021

धारा-138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

थाना-ए.पी.टी. फतेहगढ़, जनपद-फर्रुखाबाद।

दिनांक: 11-06-2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित है।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा पत्रांक 3951 वि०वि०ख० (फ) दिनांक 08.06.2026 प्रस्तुत किया गया जिसमें उपभोक्ता/अभियुक्त जगपाल सिंह पर कोई भी देय शेष बकाया नहीं रहा है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा, उसके विरुद्ध इस मामले के संबंध में निर्धारित प्रशमन राशि की अदायगी विद्युत निगम को कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि निगम द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र दिनांक 08.06.2026 से हो रही है।

विद्युत अधिनियम 2003, (अधिनियम संख्यांक 36) की धारा 152 की उपधारा (2) ऐसी दशा में अर्थात् (अभियुक्त द्वारा प्रशमन धनराशि डिपोजिट कर दिये जाने पर) अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग का प्रशमन किये जाने का प्रावधान करती है।

धारा 152 (2) इस प्रकार है कि- उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध किसी दण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जाएगी।

अतः इस भाँति, अभियुक्त जगपाल सिंह के विरुद्ध संस्थित मामले का प्रशमन हो जाता है। अर्थात् विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कार्यवाही का, अभियुक्त के विरुद्ध प्रशमन हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही प्रशमन के आधार पर समाप्त की जाती है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

(दीपेन्द्र कुमार सिंह-I)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष संख्या-04, फर्रुखाबाद।